न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

नाम पीठासीन अधिकारी–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–02/2019

बृजमोहन पुत्र श्री मोमनराम जाति जाट निवासी चक 31 एस एस डब्ल्यु गोदाराबास तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

———रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976

उपस्थितः–

1. श्री अनुभव सिडाना एडवोकेट–अपीलार्थी।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांकः–18.11.2020

अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 01.08.2019 बअनवानी प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम बृजमोहन जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किये जाने बाबत पेश हुई।

मुताबिक अपील तथ्य अपीलार्थी को ग्राम चक 31 एस एस डब्ल्यु में उचित मुल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र जारी था। अपीलार्थी के विरूद्व तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ने परिवाद पत्र प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि अपीलार्थी ने मिट्टी का तेल एवं अन्य वस्तुओं का गबन कर उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया है, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मिजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ में परिवाद बअनवानी राजस्थान राज्य बनाम बृजमोहन के नाम से अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज हुआ एवं परिवादी से रिकार्ड मांगा गया जिस पर परिवादी ने यह काथन किया कि तत्कालीन समय का रिकार्ड गुम हो चुका है, जिस पर प्रत्यर्थी ने दिनांक 18.03.2010 को यह निर्णय पारित किया कि अपीलार्थी के विरूद्व केरोसीन तेल ब्लैक में बेचने का आरोप है एवं उसके द्वारा चाहा गया रिकार्ड पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की जमाशुदा प्रतिभूति राशि बहक सरकार जब्त कर अपीलार्थी का प्रधिकार पत्र निरस्त कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी एवं अन्य दो व्यक्तियों के विरूद्ध थाना हनुमानगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 599/2005 इस आशय की दर्ज करवाई गई की अपीलार्थी ब्लैक में दो सौ लीटर मिट्टी का तेल बेच रहा था जिस पर मौका पर औमप्रकाश को गिरफ्तार किया गया व उसका टेम्पू जब्त किया गया। इस प्रकरण में अपीलार्थी का चालान न्यायालय में पेश हुआ एवं यह प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम औमप्रकाश आदि के नाम से फौजदारी प्रकरण सं. 82/2006 पर दर्ज हुआ। इस प्रकरण को निर्णय दिनांक 18.03.2010 में आधार बनाया गया एवं अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिसट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलार्थी को प्रकरण बअनवानी राजस्थान राज्य बनाम औमप्रकाश आदि में दिनांक 05.12.2015 को दोषमुक्त कर दिया गया।

प्रकरण बअनवानी राजस्थान राज्य बनाम बृजमोहन, नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं. 33/2008 में अपीलार्थी को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 20.01.2018 को दोष मुक्त कर दिया गया।

अपीलार्थी को जब दोनों फौजदारी प्रकरणों में दोषमुक्त कर दिया गया तो अपीलार्थी ने समयावधि में एवं उसके बाद दिनांक 13.11.2018 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसका प्रधिकार पत्र पूर्ववत पारित कर दिया जावे लेकिन अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर विधिक राय मंगवाकर यह आदेश दिया कि अपीलार्थी को अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा चुका है, इसलिए इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 01.08.2019 से अप्रसन्न होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 01.08.2019 कतई गलत, विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं मनमाना होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का प्रावधान है कि जब फौजदारी प्रकरणों में न्यायालय द्वारा किसी अनुज्ञापत्रधारी को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उसे दोषी नहीं माना जा सकता है एवं फौजदारी प्रकरणों के आधार पर अनुज्ञा पत्र पूर्ववत बहाल किया जाना न्यायोचित होता है। विचारण न्यपायालय के समक्ष निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की गई एवं इस सम्बन्ध में विधिक राय भी ली गई एवं न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र बहाल ने कर कानूनी भूल की है। ए.डी.पी. हनुमानगढ़ से विधिक राय ली गई एवं ए.डी.पी. द्वारा न्यायिक दृष्टांत का हवाला देते हुए यह अनुशंषा की गई कि अपीलार्थी का प्रधिकार पत्र दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बहाल किया जा सकता है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में न्यायिक दृष्टांत को कोई हवाला नहीं दिया एवं न्यायिक दृष्टांत किस प्रकार हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता इस बारे में कोई राय प्रकट नहीं की गई ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। चक नं. 31 एसएसडब्ल्यु में अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने के बाद आज तक कोई नया प्रधिकार पत्र जारी नहीं किया गया। अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत वितरण का कार्य किया जा रहा है। अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल किया जाने से किसी भी पक्षकार को कोई असुविधा नहीं होगी। वर्ष 2005 एवं वर्ष 2008 में अपीलार्थी के विरूद्ध राजनैतिक द्वैष की भावना से मिथ्या प्रकरण दर्ज करवाये गये एवं इन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा कोई कालाबाजारी का मामला नहीं माना गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पूर्ववत बहाल किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी ने दिनांक 31.10.2018 व उससे पूर्व दिनांक 07.02.2018 को प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये लेकिन प्रत्यर्थी ने कोई आदेश पारित नहीं किया जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 13.11.2018 को श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो मूल आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भिजवाया गया

लेकिन प्रत्यर्थी ने नियमानुसार कार्यवाही न कर मनमाना आदेश पारित कर दिया। यहां यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी ने ए.डी.पी. से विधिवत राय मंगवाई लेकिन इस राय के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया। प्रत्यर्थी ने पूर्व के आदेश दिनांक 18.03.2010 का हवाला देते हुए आवेदन पत्र पर कोई स्पष्ट कार्यवाही नही की। विचारण न्यायालय का आदेश गुण अवगुण पर पारित नही किया गया। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2019 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 01.08.2019 से व्यथित होकर उक्त आदेश को अपास्त करने हेतु उक्त अपील पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 01.08.2019 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे। अपीलार्थी तथा औमप्रकाश को फौजदारी मुकदमों में बरी किया जा चुका है तथा विभाग ने उनके विरूद्ध अपील नही करने का निर्णय किया है। कोई अपील नहीं होने से निर्णय अन्तिम हो चुका है। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ ने 01.08.2019 को कोई आदेश नहीं किया है। मौके पर तेल पकड़ा है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना हुनमानगढ़ टाउन में दर्ज हुई व उसमें एफ. आर. लगाई गई। अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र शिकायत मिलने पर जांच में पुष्टि होने पर जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ ने आदेश दिनांक 18.03.2010 से अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 20.01.2018 में अपीलार्थी को दोषमुक्त किया है जिसका जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 18.03.2010 से कोई सम्बन्ध नही है। शिकायत गंभीर प्रकृति की है। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 18.03.2010 जो कि आज भी यथावत है। अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.08.2019 का अवलोकन करने से यह न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधिन निर्णय पारित नहीं किया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2018 के विरूद्ध माननीय हाईकोर्ट, जोधपुर में अपील दायर करने के सम्बन्ध में कार्यलय टिप्पणी थी। खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 28.05.2019 से फौजदारी प्र. सं. 33/2008 स्टेट बनाम बृजमोहन अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2018 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील दायर नहीं करने की अनुशंसा किया जाना पाया गया। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ की टिप्पणी दिनांक 01.08.2019 के अनुसार जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्र. सं. 147/2009 में दिनांक 18.03.2010 को पारित निर्णय के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही लम्बित या अपेक्षित नहीं होना बतायी। टिप्पणी में यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक को अपने स्तर पर अपील के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलार्थी बृजमोहन के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के यहां

प्रकरण पेश किया गया था जिसमें माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 20.01.2018 द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 18.03.2010 को अपास्त नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2010 से अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया था जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील नहीं किया जाना प्रतीत होता है जिसके कारण जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 18.03.2010 आज भी यथावत है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ के कार्यालय टिप्पणी दिनांक 01.08.2019 को न्यायिक निर्णय मानते हुए अपील की गई है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य बनती है तथा इसके साथ–साथ अपीलाण्ट के प्रति सहानुभूतिक विचार रखते हुए यदि अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 18.03.2010 के विरूद्ध अपील करना चाहता है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official